प्रकरण सं0 30/2018 अनवानी नायब तहसीलदार छानीबड़ी बनाम रामचन्द्र अन्तर्गत धारा 97 राज0 प0 राज अधिनियम 1994

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	06.08.2019 उपतहसीलदार छानीबड़ी द्वारा अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति भादरा के पत्रांक 2831 दिनांक 31.08.18 के विरूद्व निगरानी पेश करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी ने एक अपील इस आशय से पेश कि ग्राम छानी बड़ी के रोही मौजा चक 5 सी.एच.एन. जो ख0न0 94 तादादी 1.0138 हैक्ट0 भूमि गैरमूमकिन जोहड है जिसमें 600 वर्गफुट पर रामचन्द्र पुत्र इन्द्राज जाति कुम्हार ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, तथा उसने अपने अतिकमण वाली जगह पर अप्रार्थी स0 3 ने अप्रार्थी स0 2 के साथ साजबाज कर पटटे भुपसिंह पुत्र श्रीचंद के नाम पटटा न0 0 दिनांक 07.03.88 तादादी 15 गुणा 10 जारी करवा लिया है। अप्रार्थी स0 2 ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में पटटा जारी करने का अधिकार है। परन्तु अप्रार्थी स0 1 ने तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत छानीबड़ी से दुरभिसंधि करके राज्य सरकार को नुकसान पहुचाने की गरज से ग्राम छानीबडी के रोही मौजा चक 5 सीएचएन जो ख0न0 94 तादादी 1.138 हैक्ट0 भूमि गैरमुमकिन जोहड है जिसमें 600 वर्गफुट जो राज्य सरकार की सम्पति है, जो आवादी भूमि से अलग है, जो रिकार्ड में गै0मु0 जोहड़ दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा विधि विरूद्व किये गये अतिकमण के लिए प्रार्थी को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत दिनांक 20.11.14 को अतिकमी घोषित किया जा चुका है। तथाकथित पटटे के आधार पर अपने अतिकमण को पुख्ता करने के लिए निर्माण कर रहे है तथा सरकारी कार्य में भी बाधा डाल रहे है, इसलिए उक्त पटटे तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जावे। उक्त पटटा को विधि विरूद्व होने व पटटा की जानकारी से अपील अन्दर मियाद होने से अपील अधिनस्थ न्यायालय में अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत पेश की गई परन्तु अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा द्वारा मात्र एक पत्रांक के आधार पर अपील मूल ही उचित कार्यवाही हेतु वापिस लोटा दी गई व लिखा गया की अपील राज0 पचायती राज0 अधिनियम 1996 की धारा 61(1) के तहत समय अवधि 30 दिन से अधिक होने से स्वीकार नहीं की जा सकती है, जिससे व्यथित होकर निगरानी निम्न आधारो पर प्रस्तुत कि जा रही है– क – यह है कि अप्रार्थीगण स0 1 के पक्ष में ग्राम छानीबड़ी की रोही मौजा चक 5 सी.एच.एन. जो ख0न0 94 तादादी 1.138 हैक्ट0 भूमि गैरमूमकिन जोहड़ है जिसमें 600 वर्गफुट में से अप्रार्थी स0 1 ने अप्रार्थी स0 2 के साथ साजबाज कर पटटे भूपसिंह पुत्र श्रीचंद जाति कुम्हार निवासी छानीबड़ी के नाम पटटा न0 0 दिनांक 07.03.88 तादादी 15 गुणा 10 फुट जारी करवा लिया है। अप्रार्थी स0 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत छानी बड़ी द्वारा जारी पटटे जो की रिकार्ड में गै0मु0 जोहड़ दर्ज है का पटटा बिना विधिक प्रकिया अपनाकर जारी किया गया है। जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा अपील पेश की गई थी एवं मातहत अदालत द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाकर मुल ही पत्रावली वापिस लौटाई गई है। एवं उपरोक्त निर्णय विधिक अवहेलना में पारित किया गया है, जो अपास्त योग्य है। ख– यह है कि अप्रार्थी के पक्ष में जारी पटटा ग्राम पंचायत छानीबड़ी द्वारा पाल की भूमि पर जारी किये है न कि आबादी भूमि पर जारी किये है जो अपारतनीय है। ग– यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ मियाद अधिनियम का	

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर मातहत अदालत ने कतई गौर नहीं किया एवं मातहत अदालत द्वारा बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाकर पत्रावली लौटा दी गई जो कतई नियम विरूद्व एवं बिना विश्लेषण के निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर निगरानी अधीन निर्णय दिनांक 31.08.18 पत्रांक 2831/2018 अनवानी स्टेट बनाम रामचन्द्र आदि निरस्त फरमाया जावें एवं पटटा दिनांक 07.03.88 को निरस्त फरमाया जावें।

निगरानी प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी की तलबी कि गई अप्रार्थी स0 1 की तामील स्वयं पर व अप्रार्थी स0 3 की तामील उसके भाई पर होनी पाई जाती है परन्तु अप्रार्थी उपस्थित नहीं इनके उपस्थित नहीं आने के कारण इनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाती है।

राज्य पक्ष की ओर से नायब तहसीलदार छानीबड़ी की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिन्होने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निगरानी स्वीकार कर प्रसंगत पटटा निरस्त करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी चक 5 सीएचएन सम्वत 2073–2076 खाता स0 189/181 मु0न0/ख0न0 94 की 1.138 हैक्ट भूमि की किस्म गैर मुमकिन जोहड़ दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत इस श्रेणी की भूमि को अन्य उद्देश्य के लिए आवंटन/आरक्षित नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट(पीआईएल) स0 1554/04 निर्णय दिनांक 12.01.17 अनवान गुलाब कोठारी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य तथा डी.बी. सिविल रिट स0 1536/03 निर्णय दिनांक 02.08.2004 अनवानी अब्दुल रहमान बनाम स्टेट व अन्य में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किये गये है कि नदी नाला, वन विभाग एवं कैचमैन्ट एरिया में स्थित भूमि को अन्य किसी उद्देश्य के आवंटन/आरक्षित नहीं किया जा सकता। चुकि हस्तगत निगरानी में जो आवासीय पटटे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये है वह जोहड़ की भूमि पर जारी किये गये है। ऐसे विधि विरूद्व पटटों को उक्त न्यायिक दृष्टांतो व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवंटन हेतु प्रतिबन्धित भूमि होने के कारण पटटा निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हस्तगत पटटा दिनांक 07.03.88 साइज 15 गुणा 10 जो भुपसिंह पुत्र श्रीचन्द जाति कुम्हार साकिन छानीबड़ी के नाम ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.03.88 को जारी किया गया है, को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार भादरा, नायब तहसीलदार छानीबड़ी व विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा व सरपंच ग्राम पंचायत छानीबड़ी को भेजी जावें। पत्रावली फैसला सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.08.2019 को सुनाया गया।

(अशोक असीजा)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Web Copy - Not Official